जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / स्था / 2018 / 316 दिनांक 02/5/18

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय में कुछ प्रकरणों पर उचित निर्णय न हो पाने से आदेश प्रसारित किये जाने के उपरान्त भी शिकायतें प्राप्त होती है। जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होती है। इस हेतु माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार ऐसे प्रकरण एवं पत्रावलियॉ जिनमें निर्णय लेने मे कठिनाई उत्पन्न होती है उनके निराकरण हेतु निम्नानुसार एडवाईजरी बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके सदस्य निम्नानुसार है:–

1. रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, जीविवि0 ग्वालियर –अध्यक्ष
2. प्रो0 डी0डी0 अग्रवाल, डी0सी0डी0सी0 जीविवि0 ग्वालियर –सदस्य
3. प्रो0 ए0के0 श्रीवास्तव, भौतिकी अध्ययनशाला जीविवि0 ग्वालियर –सदस्य
4. प्रो0 रेणु जैन, गणित अध्ययनशाला जीविवि0 ग्वालियर –सदस्य
5. उप–कुलसचिव (प्रशासन विभाग), जीविवि0 ग्वालियर –सदस्य

1. उपरोक्त बोर्ड को यह भी अधिकार प्राप्त होगें कि वे यदि किसी पत्रावली पर व्यक्ति विशेष जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, विधिक अभिमत या किसी विशिष्ट व्यक्ति की सलाह लेना आवश्यक समझते हो तो उन्हें भी वे आंमत्रित कर सकते है।
2. उक्त बोर्ड प्रतिदिन सायं 04:30 बजे से 05:00 बजे तक ऐसी पत्रावलियॉ का परीक्षण कर अपना अभिमत प्रदान करेगें।

बोर्ड के समस्त सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

कुलसचिव

प्रति,

बोर्ड के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:–

1. समस्तअधिकारी / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, जीविवि0, ग्वालियर।
2. समस्त अधीक्षक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

उप–कुलसचिव (प्रशासन)